

## राज्य साख योजना 2009–2010

### STATE CREDIT PLAN 2009-2010

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :—महिला एवं बाल विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित।(यदि कोई हो तो) (यदि योजना लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the scheme with Sub-Components, if any.	स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना जिसका संचालन छ.ग. महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा है। Loan scheme for SHG, which is run through CG Mahila Kosh.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme?	राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। State Government Sponsored Scheme.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	महिला एवं बाल विकास विभाग Women & Child Development Department.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरीदायी नोडल विभाग Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग पदेन जिला प्रबंधक, छ.ग. महिला कोष। District Officer, Women & Child Development Department. ex-officio District Manager, CG Mahila Kosh
5	योजना का उद्देश्य Objective of the Scheme	महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। Empowerment of Women SHGs to provide financial support for making women economically empowered.

6	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो जहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>समस्त 18 जिलें</p> <p>All 18 Districts.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Women etc.)</p>	<p>महिला स्वयं सहायता समूह</p> <p>Women SHG.</p>

8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	1. योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के लिए पात्र होंगे । शासन की मंशा है कि जहाँ एक ओर बिना किसी भेद-भाव के सभी महिलाओं को ऋण योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाये वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, इंदिरा सहारा योजना की लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाकर सहायता पहुँचाई जा सके ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	Under this scheme rural and urban women are eligible for taking loan. Government desires that without any discrimination all women should be benefited through loan scheme at the same time on priority basis loan should be provided to women of below poverty line families, helpless, widow, divorced and women beneficiary of Indira Sahara Yojana.
		2. ऋण प्राप्ति के लिए केवल "A" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे । For taking loan application of only "A" grade group will be considered.
		3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होंगे । Self help groups will be eligible for Loan application only after one year of formation.
		4. स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे । इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी किश्तों की वापसी निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा । Self Help Group after paying previous loan will again be eligible to apply for loan from fund. For this it is necessary that they should have payed all the installments of loan taken earlier in prescribed time.
		5- ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक

<p>9</p>	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/ individual and group basis.</p>	<p>समूह स्तर पर  On Group level.</p>
<p>10</p>	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।) Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution</p>	<p>अनुदान नहीं ऋण प्रदान किया जाता है। 6.5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समूह को एवं 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी.ओ. को ऋण प्रदान किया जाता है। प्रथम बार में 10000/- रुपये तथा इसके निश्चित समयावधि में भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 20000/- रुपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा। No subsidy provided, only loan is provided. The rate of interest is 6.5% to SHG group and 5.5% to NGO. First time loan is provided for upto Rs 10000/- &amp; if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs. 20,000/- can be provided to Groups for second time.</p>